2750
28/04/2022

# झारखण्ड सरकार
## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

### संकल्प

विषय : **संकल्प संख्या–8598 दिनांक 29.09.2015 के द्वारा विभिन्न विभागों में उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर 03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं 02 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किये जाने के प्रावधान में 02 अतिरिक्त वर्षों के अवधि विस्तार का प्रावधान करने के सम्बन्ध में।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–8598 दिनांक 29.09.2015 की कंडिका–6(iv) में प्रावधानित है कि 'चयनित सलाहकार को प्रथमतः 03 वर्षों के लिए नियोजित किया जायेगा, यदि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय चयन समिति के द्वारा मूल्यांकनोपरान्त इसकी आवश्यकता सम्पुष्ट होती है तो संविदा 02 वर्षों के लिए पुनः विस्तारित की जा सकेगी'। उक्त के आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड द्वारा श्री प्रदीप कुमार हजारी की संविदा अवधि विस्तार हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

2. दिनांक 20.01.2020 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड में श्री प्रदीप कुमार हजारी की संविदा अवधि अगले 02 वर्षों के लिए विस्तारित करने की अनुशंसा की गयी, जिसके आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड द्वारा इनकी सलाहकार के रूप में संविदा अवधि को आगामी 02 वर्षों के लिए अर्थात 08.02.2022 तक के लिए विस्तारित की गयी है। सम्प्रति श्री प्रदीप कुमार हजारी, विभागीय सलाहकार–सह–विशेष सचिव की संविदा अवधि 02 वर्षों के लिए विस्तारित करने का अनुरोध प्रशासी विभाग द्वारा किया गया है।

3. उक्त विभागीय संकल्प में 03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं 02 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किये जाने के उपरान्त पुनः संविदा अवधि के विस्तार की व्यवस्था नहीं है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड द्वारा श्री हजारी के शैक्षणिक एवं पेशेवर कार्यकुशलता से लाभान्वित होने का उल्लेख किया गया है। अतएव प्रशासी विभाग की आवश्यकता एवं अनुशंसा के आलोक में विषयांकित मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

4. तदनुसार प्रस्तावित है कि **03 वर्षों के लिए नियोजित किये जाने एवं 02 वर्षों के लिए अवधि विस्तारित किये जाने के उपरान्त भी अगले 02 वर्षों के लिए पुनः संविदा को विस्तार करने की आवश्यकता महसूस होती है तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति अवधि के विस्तार हेतु अनुशंसा गठित करेगी। तदुपरान्त उसपर सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।**

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक–2627 दिनांक 25.04.2022 के क्रम में दिनांक 26.04.2022 की बैठक के मद संख्या–15 में प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड ई–गजट में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

28/4/2022

**(चन्द्र भूषण प्रसाद)**
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–16/प्र0सु0–02–01/2020 का॰–...2750..../राँची, दिनांक 28/04/2022

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/राज्यपाल सचिवालय/महालेखाकार, झारखण्ड/श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

28/4/2022

सरकार के उप सचिव।